


I-30

दिनांक : 5 मई 20
12

आदरणीय श्रीमान अजय माकन जी,
खेल मंत्री - भारत सरकार,
दिल्ली।



मैं आपका ध्यान मास्टर प्लान 2021 के लिए कुछ मुख्य बिन्दु पर ला
चाहता हूँ, जोकि राजेन्द्र नगर के निवासियों के लिए अतिआवश्यक है।

राजेन्द्र नगर एक रिफ्यूजी कॉलोनी हैं। यहां के निवासी लगभग अजा
के बाद से ही यहां निवास कर रहें है। जिस वक्त यहां लोग रहने के लिए आए थे त
आबादी बहुत कम थी। परन्तु आज इस बड़ी आबादी का भार राजेन्द्र नगर में भी पड़ा है
जिस के कारण यहां रहने वाले निवासीयों ने अपने रहने हेतु जरूरत के अनुसार अप
बिल्डिंग पर ही फ्लोर का निर्माण कर रहने का इन्तजाम किया है। इन रहने वालों को उ
कुछ और राहत की आवश्यकता है जैसे :-

1. जोकि राजेन्द्र नगर एक रिफ्यूजी कॉलोनी है इस क्षेत्र में भूमी को 88 वर्ग, 125 व
200 वर्ग व कुछ इससे बड़े भी भू क्षेत्र के हिसाब से बाटा गया है। भूमी क्षेत्र सीमित
होने के कारण निवासियों ने अपनी मकान पर ही फ्लोर के उपर फ्लोर का निर्मा
किया है।

अपने निवास के भू क्षेत्र को एल एण्ड डी ओ विभाग से फ्री होल्ड कराना हो
है। परन्तु बड़ा ही खेद का विषय है कि विभागिए कार्यवाही करने में निवासियों
बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पडता है। विभाग कभी पुराने नक्शे की मांग कर
है, उसी नक्शे के आधार पर मकान को बनाने पर ही विभाग फ्री होल्ड करता है। इ
परिक्रिया में बहुत समय लग जाता है, और कभी - कभी तो निवासियों को अपने ब
हुए मकान को पुराने नक्शे के अनुपात में लाने के लिए तोडना भी पडता है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एल एण्ड डी ओ विभाग को मास्टर प्ल
2021 में संशोधन करें। जिसमें क्षेत्र के भू भाग पर बने प्रतेक फ्लोर का शुल्क तय ह
जोकि एकमुश्त होना चाहिए। इससे जो भी अपने फ्लोर को फ्री होल्ड करवाना चाह
जैसे वह एम सी डी के हाउस टेक्स विभाग में सेल्फ अस्समेन्ट कर भूगतान करते हैं
उसी आधार पर एल एण्ड डी ओ विभाग में निवासी अपनी फ्लोर की जानकारी दे व
फ्री होल्ड करवा सकें। यह सर्लीकरण फ्री होल्ड हेतु अतिआवश्यक है। इस परिक्रिया
सरकार का रेवन्यू भी बडेगा और नागरिकों को भी राहत प्राप्त होगी।

2. जोकि सरकार द्वारा पुरे मकान की उचाई को 15 मीटर के दायरे में रखा गया हैं। इर अनुसार कुल 15 मीटर के हिसाब से 49 फुट की उचाई बनती है। राजेन्द्र नगर क भूमी का क्षेत्र सीमित है इस कारण निवासी अपने रहने हेतु अपने सीमित भू क्षेत्र पर ह फ्लोर को अपनी सुविधा अनुसार बेसमेन्ट, पार्किंग, प्रथम तल, द्वतीय तल, तृतीय तल का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद पानी की टंकी के लिए मस्टी का भी निर्माण किय जाता है। इस प्रकार लगभग एक फ्लोर की उचाई 9 फुट होती है जोकि बहुत क है। मास्टर प्लान 2021 में इसे 15 मीटर से बडा कर 18 मीटर के दायरे में क जिससे राजेन्द्र नगर में रहने वाले निवासी अपने मकान की उचाई को बडा सके।
3. जोकि मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर सरकार ने अपने तल पर ही छज्जे व निर्माण 3 फुट तक बडाने के लिए किया था। परन्तु अभी तक इस विषय पर कोई इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो पाई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मास्टर प्लान 2021 फ्लोर पर छज्जे को बडाने की छुट दी जाए। इसी के साथ निवासियों को अप मकान में खिडकियों पर सन शेड बनाने की भी अनुमती होनी चाहिए।
4. जोकि हमारे क्षेत्र में कुछ भाग को कमर्शियल घोषित किया गया है तथा उस के लि कन्वर्जन चार्ज भी लिया गया है। परन्तु अभी तक इस क्षेत्र के लिए पार्किंग हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही कोई ऐसा विकल्प खोजा गया हैं कि यहां नागरिकों के लिए कहीं पार्किंग की व्यवस्था की जा रही हैं। वर्तमान में पार्किंग व समस्या एक विकट रूप धारण करती जा रही है। और इस पार्किंग की समस्या हे अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई भी विचार नहीं किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है आप इस पार्किंग की विकट समस्या के निवारण हेतु आवश्यक कदम मास्टर प्ल 2021 में उठाएं।

धन्यवाद,

(मनजीत सिंह खन्ना)